भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.790

04 दिसंबर, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

महाराष्ट्र से प्राप्त प्रस्ताव

+790.डॉ. नामदेव किरसानः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से आवासन और शहरी कार्य क्षेत्र से संबंधित कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं**;**

(ख) यदि हां**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं**,** अनुमोदित किए गए हैं और लंबित हैं**;** और

(ग) केन्द्र सरकार का उक्त लंबित प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान करने का विचार है**?**

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): संविधान के अनुच्छेद 243डब्ल्यू के प्रावधानों के अनुसार, सातवीं और बारहवीं अनुसूची के संयोजन में, शहरी विकास से संबंधित मामले राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) अपने विभिन्न प्रमुख मिशनों/कार्यक्रमों जैसे अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0), प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी 2.0 (पीएमएवाई-यू 2.0), स्वच्छ भारत मिशन - शहरी 2.0 (एसबीएम - यू 2.0), शहरी परिवहन (यूटी) आदि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को उनके शहरी विकास एजेंडे के लिए कार्यक्रम संबंधी सहायता प्रदान करता है।

इन मिशन/योजना के माध्यम से केंद्र सरकार राज्य योजना अनुमोदित करती है और राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं का चयन, डिजाइन, अनुमोदन और निष्पादन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरों द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारें शहरों/ज़िलों को निधियां जारी करती हैं।

इसके अलावा, मेट्रो रेल परियोजनाएं उच्च लागत गहन होती हैं, जिनका मंत्रालय में पूरी तरह से मूल्यांकन किया जाता है और केंद्र सरकार में अलग-अलग स्तर पर इनकी जांच होती है। ऐसे प्रस्तावों का अनुमोदन परियोजनाओं की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इसलिए, परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

अमृत 2.0, शहरी परिवहन, पीएमएवाई-यू और एसबीएमय-यू के तहत महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में प्राप्त और अनुमोदित और लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा इस प्रकार है:

अमृत 2.0: यह मिशन वर्ष 2021 में सभी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया था, जिससे शहर 'आत्म-निर्भर' और 'जल सुरक्षित' बन सकें। 500 अमृत शहरों में सार्वभौमिक रूप से सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन करना अमृत 2.0 के मुख्य कार्य क्षेत्रों में से एक है। मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन करने, उनका मूल्यांकन करने, प्रस्तावित करने तथा उनका कार्यान्वयन करने का अधिकार है। अमृत 2.0 के तहत, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 29,999.68 करोड़ रु. की 275 परियोजनाओं को अनुमोदित किया है, जिसमें 15,814.93 करोड़ रु. की 116 जलापूर्ति परियोजनाएं, 12,510.96 करोड़ रु. की 46 सीवरेज/ सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं, 189.12 करोड़ रु. की 25 हरित स्थल और पार्क परियोजनाएं और 1,484.67 करोड़ रु. की 88 जलाशय पुनरूद्धार परियोजनाएं शामिल हैं। अमृत 2.0 के तहत परियोजनाओं के लिए महाराष्ट्र राज्य का कोई भी प्रस्ताव अभी लंबित नहीं है।

शहरी परिवहन :

(i) अनुमोदित मेट्रो परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम
1	नागपुर मेट्रो रेल परियोजना चरण- I
2	पुणे मेट्रो रेल चरण-I
3	मुंबई मेट्रो लाइन-3 परियोजना
4	नागपुर मेट्रो चरण-II
5	ठाणे इंटीग्रल रिंग मेट्रो परियोजना
6	पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-1 विस्तार (पीसीएमसी- निगडी)
7	पुणे मेट्रो रेल परियोजना चरण-1 विस्तार (स्वरगते से कात्रज)
8	पुणे मेट्रो रेल परियोजना कॉरिडोर 2ए: वनाज से चांदनी चौक और कॉरिडोर 2बी: रामवाड़ी से वाघोली/विट्ठलवाड़ी (पुणे मेट्रो चरण-II का हिस्सा)

(ii) अनुमोदन हेतु प्राप्त मेट्रो परियोजना प्रस्ताव

क्र. सं.	परियोजना का नाम
1	नासिक मेट्रोनियो परियोजना
2	पुणे मेट्रो रेल परियोजना लाइन 4: स्पर लाइन (4ए) नल स्टॉप-वारजे - माणिक बाग सहित खराडी से खड़कवासला (पुणे मेट्रो चरण-II का हिस्सा)
3	मुंबई मेट्रो लाइन-11 (अनिक डिपो, वडाला से गेटवे ऑफ इंडिया)

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0: पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में भौतिक और वित्तीय प्रगति इस प्रकार है:

क्र. सं.	**विवरण**	**महाराष्ट्र**
1	अनुमोदित आवास	12.72 लाख
2	निर्माण कार्य शुरू किए गए आवास	11.67 लाख
3	पूर्ण/सौंपे गए आवास	10.23 लाख
4	अनुमोदित केंद्रीय सहायता	23,995 करोड़ रु.
5	जारी केंद्रीय सहायता	19,884 करोड़ रु.

एसबीएम-यू: यह मिशन महाराष्ट्र समेत सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य देश के शहरी क्षेत्रों में सुरक्षित तरीके से साफ-सफ़ाई करना और कचरे के सभी हिस्सों का वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। एसबीएम-यू के तहत राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित पूर्ण प्रस्तावों के रूप में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का केंद्रीय हिस्सा जारी किया जाता है, जिसे राज्य कार्य योजना के अनुसार संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकार आगे यूएलबी को भेज देती हैं। एसबीएम-यू 2.0 के तहत महाराष्ट्र राज्य के लिए 3,758.5 करोड़ रु. का मिशन आवंटन निर्धारित किया गया है, जिसमें से 3,389.08 करोड़ रु. की केंद्रीय हिस्से वाली कार्य योजनाओं को अब तक अनुमोदित किया जा चुका है।

*****